

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2, जल पथ, गाँधीनगर, जयपुर


क्रमांक:- एफ.11(3)(10)मो./ICDS/2016-17/ 66724

दिनांक: 30/04/2022

आदेश

विभागीय परिपत्र क्रमांक 108508 दिनांक 19.08.2021 के बिन्दु संख्या 12 (iv) के प्रावधानानुसार आदेश क्रमांक 46568 दिनांक 23.03.2022 के द्वारा दिनांक 01 अप्रैल से 30 सितम्बर के लिए राज्य के समस्त आंगनबाड़ी केन्द्र समय प्रातः 08:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक (4 घण्टे) संचालित किये जाने के निर्देश जारी किये गये।

प्रदेश में भीषण गर्मी के दौर को देखते हुए आंगनबाड़ी केन्द्र दिनांक 01 मई, 2022 से आगामी निर्देशों तक प्रातः 07:00 बजे से 11:00 बजे तक संचालित किये जावे।


30-4-2022
(समावतार मीणा)
निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएँ

क्रमांक:- एफ.11(3)(10)मो./ICDS/2016-17/ 66725-67143 दिनांक: 30/4/2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, महिला अधिकारिता विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएँ, जयपुर।
5. जिला कलक्टर, समस्त।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
7. समस्त अधिकारीगण, निदेशालय, जयपुर।
8. उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, समस्त।
9. बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएँ, समस्त।
10. एनलिस्ट-कम-प्रोग्रामर को विभागीय बैवसाईट पर अपलोड करने हेतु।


संयुक्त निदेशक (मो.)